



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29918

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1995/2026

राखी देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें प्रार्थना की गई है: (I) प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को आंगनवाड़ी केंद्र ढेला अहीर-1 (कोड संख्या) में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। 9134120608; (II) प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 06.10.2025 के अभ्यावेदन (अनुलग्नक संख्या 8) पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; (III) इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन उचित समझे जाने वाला कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; (IV) याचिकाकर्ता को अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए और उसे नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"